भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2131

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक का होना

†2131. श्री पी. सी. मोहनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य पदार्थों, पानी और पैकेज्ड उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक होने के संबंध में कोई अध्ययन किए हैं या समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;
(ख) माइक्रोप्लास्टिक के सेवन या दीर्घकालिक संपर्क से उत्पन्न स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिमों के संबंध में निष्कर्ष क्या हैं;
(ग) खाद्य, पैकेजिंग और जल तंत्र में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण की निगरानी, विनियमन और इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए /उठाए जाने प्रस्तावित हैं;
(घ) क्या सरकार का देश में उपभोक्ता वस्तुओं में माइक्रोप्लास्टिक सामग्री के लिए सीमाएँ या मानक निर्धारित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और
(ङ) माइक्रोप्लास्टिक-आधारित उत्पादों को बदलने और खाद्य शृंखला में प्लास्टिक लीकेज को कम करने के लिए प्रोत्साहित की जा रही वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्री और तकनीकें क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ड़): सरकार उस अध्ययन से अवगत है जिसमें खाद्य पदार्थों, पानी और पैकेटबंद उत्पादों में माइक्रो प्लास्टिक पाए गए हैं। विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए कई अध्ययनों की समीक्षा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के वैज्ञानिक पैनल के स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा की गई है। इन विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययनों के गुणों के आधार पर मुद्दों पर विचार किया जाता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद-भारतीय विष-विज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर-सीआईएफटी), कोच्चि और बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान (बीआईटीएस), पिलानी द्वारा प्रस्तावित " उभरते खाद्य संदूषकों के रूप में सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक: मान्य कार्यप्रणालियों की स्थापना और विभिन्न खाद्य मैट्रिक्स में इसकी विद्यमानता को समझना" शीर्षक वाली परियोजना को वित्त पोषित किया है। इस परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

i. खाद्य पदार्थों में माइक्रो/नैनो-प्लास्टिक की पहचान और मात्रा निर्धारण के लिए विश्लेषणात्मक विधियों का विकास और वैद्यकरण।
ii. चिह्नित खाद्य पदार्थों में विकसित विधियों की अंतर-प्रयोगशाला और अंतः-प्रयोगशालागत संबंधी तुलना।
iii. चिह्नित खाद्य पदार्थों में माइक्रो /नैनो-प्लास्टिक के संपर्क स्तरों की निगरानी और निर्धारण।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक एवं पैकेजिंग विनियम, 2018 को भी अधिसूचित किया है, जिसमें खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग के लिए अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं। इसके अनुसार, खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, तैयारी, भंडारण, आवरण, परिवहन और बिक्री एवं परोसने के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री जो भोजन के सीधे संपर्क में आती है या जिसके संपर्क में आने की संभावना है, वह खाद्य-ग्रेड गुणवत्ता की होनी चाहिए। इसमें खाद्य उत्पादों के संपर्क में आने वाली प्लास्टिक सामग्री के लिए भी *मानक* निर्धारित किए गए हैं, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के संबंधित विनिर्देशों का संदर्भ है। ये मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा पद्धतियों के साथ एकरूपता सुनिश्चित होती है।

इसके अलावा, इसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्लास्टिक मूल की सभी पैकेजिंग सामग्री आईएस 9845 के अनुसार परीक्षण किए जाने पर 60 मिलीग्राम/किलोग्राम या 10 मिलीग्राम/डीएसएम2 की निर्धारित समग्र माइग्रेशन सीमा के अंतर्गत होगी, जिसमें कोई दृश्यमान कलर माइग्रेशन नहीं होना चाहिए।

*****